



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1331) पटना, शुक्रवार, 8 अगस्त 2025

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई 2025

सं० 2/वि.60-75/2025-577—एतद द्वारा कलाकार कल्याण कोष योजना के तहत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्नांकित शर्त/नियम एवं आवेदन प्रपत्र निर्धारित किये जाते हैं:—

योजना का नाम एवं क्षेत्राधिकार:—

1. कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता सिर्फ बिहार राज्य के कलाकारों को प्रदान किया जायेगा।
2. कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन निम्न शर्तों के अधीन किया जा सकता है:—

(i) चिकित्सा/इलाज हेतु सहायता अनुदान:—

- (क) गंभीर बीमारी अथवा घायल होने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र/गंभीर रोग से ग्रसित कलाकार, जिनकी शल्य चिकित्सा होनी है अथवा जिनका ऑपरेशन हो चुका है, का प्राक्कलन प्रमाण-पत्र एवं अन्य साक्ष्य यथा- चिकित्सा पुर्जा, जाँच रिपोर्ट एवं दवा का विपत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (ख) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा निजी बीमा कम्पनी के चिकित्सा बीमा/योजना (आयुष्मान भारत एवं अन्य) से आच्छादित न हो, का प्रमाण पत्र/स्व-शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ii) प्रदर्श एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र में सहायता अनुदान:—

- (क) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों अथवा कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण पर देश/विदेश में शिरकत/प्रदर्शन करने हेतु प्रस्तुति/प्रदर्शनियों की तैयारी, मार्ग व्यय इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
इस संबंध में कलाकारों द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा उक्त कार्यक्रम में शिरकत/प्रदर्शन हेतु आमंत्रण कर्ता अथवा किसी अन्य श्रोत से कोई मानदेय/मार्ग व्यय नहीं लिया गया है।
- (ख) देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी या समकक्ष संस्थाओं में नामांकित होनेवाले राज्य के कलाकारों को उच्च शिक्षा/अध्ययन और शोध कार्य हेतु आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

उच्च शिक्षा/अध्ययन और शोध कार्य हेतु कलाकारों द्वारा समर्पित विपत्र (नामांकन फीस, छात्रावास फीस (भोजन सहित), जो संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत हो, पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

- (iii) चाक्षुष कला एवं प्रदर्श कला के कलाकार को उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय हेतु समिति की अनुशंसा पर वित्तीय सहायता दी जा सकती है। कलाकार द्वारा उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय का मूल विपत्र समर्पित करने पर राशि विमुक्त की जायेगी।
- (iv) अनुदान हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निदेशक (सांस्कृतिक कार्य) नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना-800015 के पते पर वर्ष पर्यन्त भेजा जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर समिति की बैठक में निर्णय लिये जायेंगे। लेकिन प्रत्येक 3 माह पर एक बैठक अवश्य की जायेगी।

3. बिहार राज्य कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसा के निमित्त निम्नवत् नौ सदस्यीय अनुशंसा समिति गठित किया जाता है:-

- | | | | |
|--------|--|---|------------|
| (i) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) | संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना | — | सदस्य |
| (iii) | निदेशक, सांस्कृतिक कार्य | — | सदस्य सचिव |
| (iv) | सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना | — | सदस्य |
| (v) | सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना | — | सदस्य |
| (vi) | वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि/आंतरिक वित्तीय सलाहकार | — | सदस्य |
| (vii) | स्वास्थ्य विभाग के एक प्रतिनिधि (उप निदेशक/सहायक निदेशक) | — | सदस्य |
| (viii) | राज्य के चाक्षुष कला के क्षेत्र में एक कला मर्मज्ञ | — | सदस्य |
| (ix) | राज्य के प्रदर्श कला के क्षेत्र में एक कला मर्मज्ञ | — | सदस्य |

नोट:- कंडिका-3(viii) और 3(ix) के कला मर्मज्ञों का मनोनयन माननीय विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदनोपरांत एक वर्ष के लिए होगा।

4. कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता की सीमा:-

- (i) इस योजना के अंतर्गत कलाकारों को सहायता अनुदान के रूप में एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।
- (ii) कलाकारों को बीमारी अथवा घायल होने के मामलों में अन्तर्वासी चिकित्सा की स्थिति में वास्तविक व्यय या अधिकतम 2,00,000/-रुपये मात्र देय होगा। इसका निर्णय गठित समिति के द्वारा लिया जाएगा।
- (iii) प्रदर्श कला एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र में अधिकतम 2,00,000/-रुपये देय होगा। इसका निर्णय गठित समिति के द्वारा लिया जाएगा।
- (iv) प्रदर्श कला एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र में उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय हेतु अधिकतम 50,000/-रुपये देय होगा।

5. शर्तें :-

- (i) कलाकार को विहित प्रपत्र में तिथि सहित हस्ताक्षरित आवेदन (अनुलग्नक-1) देना होगा एवं कलाकार की उपलब्धि संबंधित साक्ष्य (प्रमाण-पत्र एवं अन्य उपलब्धियों से संबंधित कागजात) संलग्न करना अनिवार्य है।
- (ii) आवेदन पत्र में वर्तमान पत्राचार पता/ई-मेल और दूरभाष/मोबाईल सं०, अंकित करना होगा ताकि बैठक के पूर्व उन्हें सूचना दी जा सके। आवश्यकता होने पर आवेदक को समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित होना पड़ सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय सरकार द्वारा आवेदक को देय नहीं होगा।
- (iii) सहायता अनुदान की स्वीकृति गठित अनुदान समिति द्वारा दी जायेगी। अनुदान की राशि तय करना अनुदान समिति का क्षेत्राधिकार है। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) सरकारी कर्मी को कलाकार कल्याण कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- (v) आवेदकों को कोष से राशि की स्वीकृति उनका अधिकार नहीं माना जाएगा।
- (vi) वैसे कलाकार अनुदान के पात्र होंगे, जिनकी आय 30,000/-रुपये मासिक से ज्यादा नहीं हो। तत्सम्बन्धी अद्यतन आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (vii) कलाकार को कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।
- (viii) बिहार राज्य कलाकार कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में ही देय होगा।
6. इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1927, दिनांक- 27.06.2012 को निरस्त किया जाता है।
7. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रुबी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1331-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>